भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या:2530
13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राजस्थान में एम्बुलेंस सेवाएं

2530. श्री कुलदीप इंदौरा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह वताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि राजस्थान में पीपीपी मोड पर संचालित 108 एम्बुलेंस सेवाओं में कार्यरत ईएमटी और ड्राइवर 24 घंटे की जीवन रक्षक ड्यूटी के बावजूद मात्र 10,000-14,000 रुपये के मामूली वेतन पर काम कर रहे हैं और उनकी सेवा, सुरक्षा और पदोन्नति के लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था मौजूद नहीं है;
(ख) क्या सरकार इन कर्मचारियों का न्यूनतम मासिक वेतन 20,000 रुपये निर्धारित करने और उनकी सेवा अवधि के अनुसार पद्दोन्नति और वेतन वृद्धि प्रणाली लागू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या केंद्र सरकार इन सेवाओं को किसी तीसरे पक्ष के बजाय सीधे राज्य सरकार के नियंत्रण में लाने या उन्हें स्वास्थ्य विभाग/आरएलएसडीसी की स्थायी संरचना में शामिल करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी क्योरा क्या है, और
(घ) सरकार द्वारा पीपीपी मोड में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जीवीके-ईएमई के कामकाज के संबंध में सरकारी निगरानी को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम प्रस्तावित हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं सहित स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह सहायता एक कार्यात्मक राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा (एनएएस) नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाती है, जो टोल-फ्री नंबर 108/102 से जुड़ा हुआ है। डायल 108 मुख्य रूप से गंभीर रूप से बीमार रोगियों, आघात पीड़ितों और दुर्घटना पीड़ितों आदि की देखभाल के लिए बनाया गया है। डायल 102 सेवाओं में बुनियादी रोगी परिवहन शामिल है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, बच्चों और अन्य लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। राज्यों को परिचालन व्यय केंद्र सरकार द्वारा कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यकता आधारित तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह एक विकेंद्रीकृत योजना प्रक्रिया पर आधारित है, जिसमें राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्रस्ताव तैयार करके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) को प्रस्तुत करते हैं। इन प्रस्तावों की समीक्षा और चर्चा राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति (एनपीसीसी) द्वारा की जाती है और कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) के रूप में अनुमोदन प्रदान किए जाते हैं। एनएचएम भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस) के अनुसार माध्यमिक और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं (जिला अस्पताल और उससे नीचे के स्तर) में मानव संसाधनों की कमी को पूरा करके नियमित मानव संसाधनों की पूर्ति करता है। एनएचएम के अंतर्गत सभी संविदात्मक मानव संसाधन स्वास्थ्य (एचआरएच) के अनुबंध संबंधित राज्य स्वास्थ्य समितियों (एसएचएस) द्वारा संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की नीतियों और प्रशासनिक ढांचे के अनुसार निष्पादित किए जाते हैं। वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए बजट संबंधी आवश्यकता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में प्रस्तावित की जाती हैं। सैद्धांतिक रूप से, राज्य आरओपी में कार्यरत एनएचएम एचआरएच के वार्षिक वेतनवृद्धि के लिए कुल मानव संसाधन बजट का 5% एकमुश्त राशि के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, एम्बुलेंस सेवाओं के कार्यान्वयन, निगरानी और सुदृढ़ीकरण का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। तथापि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, भारत सरकार आवश्यकता आधारित वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है, जिसमें दिशानिर्देशों का विकास, सिफारिशें, आवधिक बैठकें, क्षेत्रीय दौरे और समीक्षाएं शामिल हैं, ताकि सेवाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

राजस्थान सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की एम्बुलेंस परियोजना के तहत, एम्बुलेंस सेवाओं का संचालन और प्रबंधन निविदा के माध्यम से चयनित सेवा प्रदाताओं द्वारा संविदा आधार पर किया जाता है। चयनित सेवा प्रदाता को एम्बुलेंस वाहन के संचालन, रखरखाव, मानव संसाधन, ईंधन और दवाओं के लिए एकमुश्त भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की एम्बुलेंस परियोजना के तहत, 108 एम्बुलेंस सेवा प्रदाता द्वारा संचालित एम्बुलेंस वाहनों के प्रबंधन और संचालन का तृतीय-पक्ष ऑडिट किया जा रहा है। किसी भी उल्लंघन के पाए जाने पर आरएफपी के प्रावधानों के अनुसार जुर्माना लगाया जा रहा है। जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारी मोबाइल ऐप के माध्यम से नियमित निरीक्षण कर रहे हैं और समय-समय पर एम्बुलेंस सेवाओं की निगरानी के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं।

*****